प्रसार भारती अधिनियम की समीक्षा हेतु समिति

1865. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की समीक्षा करने के लिए गठित की गई समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहिम) : (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञ दल की मुख्य सिफारिशें विवरण के रूप में संलग्न हैं (नीचे देखिए);

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों/राज्य सरकारों के साथ व्यापक रूप से परामर्श किया जा रहा है। इनके आधार पर संसद में शीघ्र ही एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण

विशेषज्ञ दल की प्रसार भारती (भारती प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 से संबंधित मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:—

—अधिनियम में यथा परिकल्पित प्रसार भारती को एक सांविधिक निगम के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए;

—आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्रसार भारती निगम के मुख्यालय के नियंत्रणाधीन दो अलग-अलग स्कंधों के रूप में बांटा जाना चाहिए और निगम द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्रों में दोनों के बीच समन्वय होना चाहिए;

—प्रसार भारती बोर्ड की पुनःसंरचना की जानी चाहिए जिसमें अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक के कार्यों को समावेशित करते हुए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, छः पूर्णकालिक सदस्यों, चार अंशकालिक सदस्यों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रबंध निदेशकों को सहयोजित किया जाना चाहिए;

—बोर्ड स्तर से नीचे प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी होनी चाहिए;

—बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जानी चाहिए जिसमें राज्यों की परिषद के अध्यक्ष, विपक्षी दल के नेता तथा प्रेस परिषद के अध्यक्ष को सम्मिलित किया जाना चाहिए;

—अध्यक्ष, सदस्यों के कार्यकाल और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं तैनाती से संबंधित कुछ सुझाव;

—धारा 13(1) में प्रावधित संसदीय समिति को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इसके कार्य की देखरेख संचार संबंधी स्थायी समिति, मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति और प्रस्तावित भारतीय रेडियो एवं टेलीविजन प्राधिकरण (उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार) द्वारा की जा सकती है;

—धारा 24 में क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए जिनके बारे में निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार को सूचना प्रस्तुत की जाएगी;

—5000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी, 2000 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की परिसम्पत्तियों को पट्टे पर निगम को हस्तांतरित किया जाना चाहिए;

—प्रसार भारती के आत्मनिर्भर बनने तक सरकार द्वारा इसे विज्ञापन एवं वाणिज्यिक राजस्व से वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए;

—टेलीविजन सेटों के लिए वार्षिक या एकमुश्त रिसीवर लाइसेंस शुल्क पुन आरंभ करना;

—सार्वजनिक सेवा प्रसारण चैनलों के प्रचालन संबंधी लागत को सहायता-अनुदान, इक्विटी या ऋण के माध्यम से सरकारी वित्तपोषण से पूरा किया जाना चाहिए;

—कुछ सुझाव व्यावसायिक विपणन संगठन के सृजन, उद्यमशील विपणन नीतियों और कुछ चैनलों को केवल शिक्षा क्षेत्र के लिए रखे जाने से संबंधित हैं।